राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड़ अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या :– 18/2012
तारीख दायरा :–27.03.2012
निर्णय दिनांक :– 26.12.2019

वादीगण :–

1. पुखराज पुत्र बालुसिंह जी आयु–60 वर्ष, जाति–पुरोहित निवासी–मादा तहसील–देसूरी जिला–पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. शैतानसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति–पुरोहित निवासी–मादा
2. नरपतसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति–पुरोहित निवासी–मादा
3. रमेशसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति–पुरोहित निवासी–मादा
4. सुरेशसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति–पुरोहित निवासी–मादा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर एक्ट

उपस्थितिः–

1. श्री दिनेश कुमार माली अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की विरूद्ध एकपक्षिय।
3. तहसीलदार पैरोकार सरकार उपस्थित।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय (अन्तिम डिक्री) **दिनांकः– 26.12.2019**

वाद के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम मादा तहसील देसूरी की सीमा क्षेत्र के खसरा नम्बर 519 रकबा 0.2200 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 55[illegible] 0.3300 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1397 रकबा 0.0100 [illegible] गै.मु. [illegible], खसरा नम्बर 1398 रकबा 0.0300 हैक्टर किस्म गै.मु. [illegible] नम्बर 1399 रकबा 03.1500 हैक्टर किस्म चाही जाव दोयम, खसरा नम्बर [illegible]9 रकबा 0.7800 है[illegible] किस्म चाही जाव दोयम, खसरा नम्बर 1490 रकबा 0.1000 हैक्टर किस्म गै.मु. खसरा नम्बर 1494 रकबा 0.5500 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल कुल खसरा –08

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 15:52:38 IST
Reason: SelfAttested

(सहायक कलेक्टर [illegible])
(एस.डी.ओ. [illegible])

कुल क्षेत्रफल 05.1700 हैक्टर लगान 106.60 रूपये की सवत् 2066 से 2069 की जमाबन्दी के खाता संख्या 475 की आई हुई है। उक्त आराजी पुराने खसरा नम्बर 188 क्षेत्रफल 11 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी दोयम जो सवंत् 2019 से 2022 के खाता संख्या 158 मे सहखातेदारी की दर्ज हैं। एवं पुराने खसरा नम्बर 442 क्षेत्रफल 11 बीघा 19 बीस्वा किस्म चाही प्रथम, पुराने खसरा नम्बर 427 क्षेत्रफल 12 बीघा 13 बीस्वा किस्म चाही, पुराने खसरा नम्बर 442/1 क्षेत्रफल 04 बिस्वा किस्म बेरा कुल रकबा 24 बीघा 16 बीस्वा हैं। जो सम्वत् 2019 से 2022 के खाता संख्या 126 मे सहखातेदारी की स्थित रही है। प्रमारण स्वरूप वर्तमान एवं पुरानी जमाबन्दीया, मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत है।

उपरोक्त वार्णित वादग्रस्त आराजी के सेटलमेन्ट पूर्व के खाते में दोनों की मिलाकर कुल 36 बीघा 06 बिस्वा भूमि वादी और प्रतिवादीगण के सहखातेदारी की दर्ज थी। दौराने सेटलमेन्ट नये खसरा नम्बर 519, 556, 1397, 1398, 1399, 1439, 1490, 1494 बनाये जाकर कुल रकबा 05.1700 हैक्टर की दर्ज की जाकर बिना किसी विधिक आदेश के वादी का नाम विवादग्रस्त आराजी के भू–अधिकार अभिलेखों से विलोपित कर दिया गया तथा त्रुटि और भूलवश सेटलमेन्ट की कार्यवाही में खसरा नम्बर 519 को 177 से तथा 1397, 1398, 1399, को पुराने खसरा नम्बर 419/1, 419 से बनाया गया। जबकि उक्त नये खसरा नम्बर की आराजी वादी के सहखातेदारी की पुरान आराजी के उक्त खसरान से बने है जो मिलान क्षेत्रफल और मौके पर स्थित कब्जा काश्त से भी प्रमाणित है। दौराने सेटलमेन्ट खसरा नम्बर 519, 1397, 1398, 1399 गलत मिलान वादी के हक अधिकारो के विपरीत प्रभाव शुन्य और निष्प्रभावी हैं। इसलिए भू–अधिकार अभिलेखों मे की गई लिपिकिय त्रुटि के सुधार कराने और वादग्रस्त आराजी मे वादी को निहित 1/2 हिस्सा के खातेदारी हक अधिकारो की घोषणा बंटवाडा का वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम मे प्रस्तुत किया है।

प्रकरण हाजा में दिनांक 27.06.2019 को न्यायालय द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय पारित किया जाकर प्राथमिक डिक्री इस आशा की जारी की गई कि ग्राम–मादा तहसील–देसूरी के वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2066 से 2068 के खसरा नम्बर 519, 556, 1397, 1398, 1399, 1439, 1490, 1494 बनाये जाकर कुल रकबा 05.1700 हैक्टर कृषि भूमि में नाम की दुरूस्ती की जाकर गत जमाबन्दी संवत् 2015 से 2018, सवत् [illegible] खातेदार जोधसिंह पुत्र मोहनसिंह सहखातेदार के साथ दर्ज [illegible] भंवरसिंह पुत्र बालुसिंह जाति–पुरोहित साकिन –मादा [illegible] आदेश दिया जाता हैं। वर्तमान खसरा नम्बरान 519, 556, 1397, 1398, 1399, 1439, 1490, 1494 कुल खसरा–08 कुल रकबा–05.1700 हैक्टर कृषि भूमि लगान 106.60 रूपया की खातेदारी कृषि भूमि का वादी पुखराज पुत्र बालूसिंह पुरोहित को 1/2 का खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 15:52:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 को 1 / 2 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त आराजी मे वादी को 1 / 2 की एवम् प्रतिवादीगण सख्या 1से 4 को 1 / 2 हिस्सा के बंटवाडा की बाई–मिट्स एण्ड बाउण्ड्स की प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार देसूरी को भेजकर निर्देश दिये जाते है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा किया जाकर बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मय अलग अलग रंगों सहित प्रस्तुत करें।

तहसीलदारजी, देसूरी पत्राक / राजस्व / 19 / 1146 दिनांक 11.11.2019 के द्वारा प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव रिर्पोट मय नक्शा के प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई। बंटवाडा प्रस्ताव के संबंध मे पक्षकारान की तरफ से कोई आपत्ति एतराज प्रस्तुत नही हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बंटवाडा प्रस्ताव रिर्पोट का अवलोकन किया। माफीक बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार वाद अंतिम डिक्री योग्य है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम मादा तहसील देसूरी की सीमा क्षेत्र के खसरा नम्बर 519, 556, 1397, 1398, 1399, 1439, 1490, 1494 कुल खसरा–08 कुल रकबा–05.1700 हैक्टर कृषि भूमि लगान 106.60 रूपये का माफीक तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत बटवाडा प्रस्ताव व उसके सलंग्न नक्शानुसार वाद में अन्तिम डिक्री निम्न प्रकार सादिर की जाती हैः–

क्र. स	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर में	किस्म भूमि	लगान
1	पुखराज पुत्र बालुसिंह जाति–पुरोहित सा.देह खातेदार	1399	1.5750	चा.दो. 1.0250	30.75
				जा.दो. 0.5500	5.50
		1439	0.3900	चा.दो. 0.1400	4.20
				जा.दो. 0.2500	2.50
		1494	0.2750	चा.प्र. 0.2000	8.00
				जा.अ. 0.0750	0.9750
		519	0.1100	बा.दो 0.1100	0.55
		556	0.1650	बा.दो. 0.1650	0.8250
	योग	05	[illegible]	–	53.30
2.	नरपतसिंह, रमेशसिंह, शैतानसिंह, सुमेरसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति–पुरोहित सा. देह खातेदार	1399 / 1	[illegible]	चा.दो. 1.0250	30.75
				जा.दो. 0.5500	5.50
		1439 / 1	0.3900	चा.दो 0.1400	4.20
				जा.दो. 0.2500	2.50
		1494 / 1	0.2750	चा.प्र. 0.2000	8.00
				जा.अ. 0.7500	0.9750

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 15:52:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी देसूरी निर्णय राजस्व वाद सख्या 18/2012 धारा 53, 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल आर एक्ट

		519/1 556/1	0.1100 0.1650	बा.दो. 0.1100 बा.दो.0.1650	0.55 0.8250
		05	2.5150		53.30
3.	शामिलात खातेदारी वादी पुखराज हिस्सा–1/2 व प्रतिवादी नरपतसिंह, रमेशसिंह, शैतानसिंह, सुमेरसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति–पुरोहित की सा. देह खातेदार हिस्सा 1/2	1397 1398 1490	0.0100 0.0300 0.1000	गै.मु.बेरा गै.मु.सडा गै.मु.	00 00 00
	योग	03	0.1400		00

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शें में तरमीम किया जावें। वादी के बंट हिस्सा व कब्जे में दखलदांजी करने से रोकने हेतु प्रतिवादी 1 से 4 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा इस निर्णय एवं डिक्री का भाग माना जावें। कुल लगान राशि 53.30 रूपयें का ग्याहर गुणा के पांच प्रतिशत पर देय मुद्रांक के बतौर रूपयें 50/– के नोन ज्यूडिश्यल स्टाम्प वादी पेश करें। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु निर्णय एवं अंतिम डिक्री पर्चा की एक प्रति तहसीलदार देसूरी को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली फेसल शुमार होकर संख्या से कम हों।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
देसूरी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 26.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 15:52:38 IST
Reason: SelfAttested

–: अंतिमडिगरी बमुकदेमें इब्तदाई :–

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या :– 18/2012
तारीख दायरा :–27.03.2012
निर्णय दिनांक :– 26.12.2019

वादीगण :–

1. पुखराज पुत्र बालुसिंह जी आयु–60 वर्ष, जाति–पुरोहित निवासी–मादा तहसील–देसूरी जिला–पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. शैतानसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति–पुरोहित निवासी–मादा
2. नरपतसिंह पुत्र सोहनसिह जाति–पुरोहित निवासी–मादा
3. रमेशसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति–पुरोहित निवासी–मादा
4. सुरेशसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति–पुरोहित निवासी–मादा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

सपठित धारा 136 एल.आर एक्ट

मुकदमा नम्बर– राजस्व मूल वाद संख्या–18/2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनिफिसाल कत्तई रूबरू हमारे वकील श्री दिनेश कुमार माली मिनजानिब मुद्धई व वकील ....मिनजानिब मुद्धायलापेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिगरी दी जाती है कि– वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम मादा त[illegible]री की सीमा क्षेत्र के खसरा नम्बर 519, 556, 1397, 1398, [illegible] 1494 कुल खसरा–08 कुल रकबा–05.1700 हैक्टर कृषि भू[illegible]रुपये का माफीक तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत बटवाडा प्रस्ताव व उसके [illegible]न नक्शानुसार वाद में अन्तिम डिक्री निम्न प्रकार सादिर की जाती है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 15:52:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

---क्रमश : अंतिम डिक्री पर्चा पेज– 2 राजस्व मूल वाद संख्या– 18/2012

क्र. स	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर में	किस्म भूमि	लगान
1	पुखराज पुत्र बालुसिंह जाति–पुरोहित सा.देह खातेदार	1399	1.5750	चा.दो. 1.0250	30.75
				जा.दो. 0.5500	5.50
		1439	0.3900	चा.दो. 0.1400	4.20
				जा.दो. 0.2500	2.50
		1494	0.2750	चा.प्र. 0.2000	8.00
				जा.अ. 0.0750	0.9750
		519	0.1100	बा.दो 0.1100	0.55
		556	0.1650	बा.दो. 0.1650	0.8250
	योग	05	2.5150	–	53.30
2.	नरपतसिंह, रमेशसिंह, शैतानसिंह,सुमेरसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति–पुरोहित सा. देह खातेदार	1399/1	1.5750	चा.दो. 1.0250	30.75
				जा.दो. 0.5500	5.50
		1439/1	0.3900	चा.दो 0.1400	4.20
				जा.दो. 0.2500	2.50
		1494/1	0.2750	चा.प्र. 0.2000	8.00
				जा.अ. 0.7500	0.9750
		519/1	0.1100	बा.दो. 0.1100	0.55
		556/1	0.1650	बा.दो.0.1650	0.8250
		05	2.5150		53.30
3.	शामिलात खातेदारी वादी पुखराज हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी नरपतसिंह, रमेशसिंह, शैतानसिंह, सुमेरसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति–पुरोहित की सा. देह खातेदार हिस्सा 1/2	1397	0.0100	गै.मु.बेरा	00
		1398	0.0300	गै.मु.सडा	00
		1490	0.1000	गै.मु.	00
	योग	03	0.1400		00

उपरोक्तानुसार बंटवाडा की अंतिम डिक्री सादिर की जाती है। प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव व उसके साथ सलग्न नक्शा को इस निर्णय डिक्री का भाग माना जावे। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे मे अमलदरामद एवं नक्शा मे तरमीमात किया जावे।

बरोज ++ मुबलिक ++ बाबत ++ मुकद[illegible] वाद वंच शहर ++ फीस सदी सालाना आज की तारीख से तारीख [illegible]

..को अदा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 15:52:38 IST
Reason: SelfAttested

आज बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख– 26 माह 12 सन् 2019

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

मोहर

दस्तखत

औहदा......सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

मुद्दई	रूपयां पैसा	मुद्दायलास	रूपया पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुक्मनामा	
बाबत इजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजान		मिजान	

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 15:52:38 IST
Reason: SelfAttested